आर. ई. ओ. 36

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रै० १५७५ दिनांक २५।१०।०२

आदेश

राज्य में अकाल व सूखे को ध्यान में रखते हुए कृषकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से जिन किसानो के कुऐ सूख गये हे उनके अस्थाई सम्बन्ध विच्छेद करने का प्रावधान निगम के आदेश क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रै०413 दिनांक 30.5.2002 (आर.ई.ओ.14) के द्वारा दिनांक 31.5.2002 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया था ।

अब कृषि उपभोक्ताओ की मॉग को ध्यान में रखते हुए जिन किसानो के कुये सूख गये है, जिन्होने उपरोक्त प्रावधानो के अन्तर्गत 31.5.2002 तक कनेक्शन कटवाने का आवेदन नही किया है तथा उन्हे बिजली काम में नही लेने पर भी न्यूनतम बिल अथवा फ्लैट रेट के बिल का भुगतान करना पड रहा है, ऐसे किसानो को राहत देने के लिये तुरंत प्रभाव से 1 सितम्बर 2003 तक की अवधि के लिए स्वेच्छा से अपना कनेक्शन कटवाने का मौका मिलेगा तथा इस अवधि में कोई न्यूनतम बिल अथवा फ्लैट रेट बिल नही लिया जायेगा।

1 सितम्बर से 15 सितम्बर,2003 तक ऐसे किसान बिना किसी चार्ज के कनेक्शन को जुडवा सकेगें।

कुआं सूखने के कारण कनेक्शन कटवाने वाले किसानों की बकाया राशि की वसूली भी 15 नवम्बर,2003 तक नही की जायेगी। कनेक्शन कटे होने की अवधि में सम्पूर्ण ब्याज की भी छूट दी जायेगी

कुआ सूखा होने संबंधी प्रमाण पत्र भी केवल सहायक अभियन्ता द्वारा ही दिया जाना है।

(एच0एस0देवडा)
उप मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।